अल्मोड़ा NIC

संख्याः /XVIII(II)2018/02(05)/2016

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांकः 27 फरवरी, 2018**

विषयः–एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत उद्योग को भूमि क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अधिकार को जनपद स्तर पर प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश में वृद्धि एवं व्यापार करने की सुगमता के दृष्टिगत एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अधिकारों को जनपद स्तर पर प्रतिनिधायनित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2001) (संशोधन) अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–09/2018) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रकरणों में तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. उक्त के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त/विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः356(1)/XVIII(II)2018/02(05)/2016, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
उप सचिव।